कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ

पत्रांक 1790/1C

दिनांकः– 18.06.2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषयः– चौधरी चरण सिहं, कांवड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष,मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एव 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एंकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ.सी./403 दि0 21.09.21, मुख्य वन संरक्षक/नोड़ल अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक–1016/11सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/121197 दिनांक 23.09.2021 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ का पत्रांक 1486/14–1 दिनांक 23.09.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय से सम्बन्धित चाही गयी वांछित आख्या पुनः निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	अपेक्षित सूचना	विवरण	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित आख्या
1	The proposal is for construction for new Road, so NFL has to be provided for CA since the implementing agency is State Goverment	परियोजना हेतु जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में प्रभावित होने वाली 222.98 है0 अर्थात् 223 है0 संरक्षित वन भूमि के समतुल्य 223 है0 गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध करायें।	प्रायोजना हेतु वन विभाग द्वारा आवश्यक 222.98 है0 भूमि हेतु वांछित दो गुनी Degraded Forest Land (DFL), कुल 446 है0 (146 है0 जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत शिवालिक रेंज व 300 है0 जनपद मिर्जापुर) Degraded Forest Land (DFL) भूमि के चिन्हीकरण का कार्य वन विभाग द्वारा किया गया था। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ.सी./403 दि0 21.09.21 द्वारा प्रायोजन हेतु गैर वानिकी भूमि (NFL) उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी, जिसके क्रम में प्रायोजना हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा पत्र सं0–2020/आठ–एल.ए.सी.–पुर्न. (22–23) दि0 31.05.2022, पत्र सं0–2021/आठ–एल.ए.सी.–पुर्न.(22–23) दि0 31.05.2022, पत्र सं0–2022/आठ–एल.ए.सी.–पुर्न. (22–23) दिनांक 31.05.2022 एवं पत्र सं0–2023/आठ–एल.ए.सी.–पुर्न.(22–23) दि0 31.05.22 (संलग्नक–1) द्वारा प्रायोजना हेतु वांछित 223 गैर वानिकी भूमि (NFL) वन विभाग को उपलब्ध कराई गई, जिसका वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा चिन्हीकरण किया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर का पत्र सं0–4372/13–1 दिनांक 06.06.2022 द्वारा वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ को वनीकरण हेतु गैर वानिकी भूमि (NFL) 41 है0 उपयुक्त तथा शेष 182 है0 अनुपयुक्त गैर वानिकी भूमि (NFL) सम्बन्धी

अवलोकन
अ0 अ0 का0
13.06.2022

D/S/Mayank JI/Letter

			आख्या प्रेषित की गई है (संलग्नक–2)। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर द्वारा पत्र सं0–4428/13–1 ललितपुर दिनांक 11.06.2022 द्वारा वन संरक्षक, मेरठ को 223 है0 Non Forest Land (NFL) सम्बन्धी एवं उक्त में से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर वानिकी भूमि का KML फाईल संलग्न कर वन संरक्षक, सामाजिकी वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ को आख्या प्रेषित की गई है (संलग्नक–3)। कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0–3532/11–सी–FP/UP/Road/121197/2021 लखनऊ दि0 13.06.2022 द्वारा मिर्जापुर वन प्रभाग से पूर्व में चिन्हित 300 है0 Degraded Forest Land (DFL) भूमि से 182 है0 Non Forest Land (NFL) भूमि के सापेक्ष Degraded Forest Land (DFL) भूमि उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई। जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मिर्जापुर द्वारा पत्र सं0–4377/मीर्जापुर/15 मीर्जापुर दि0 14.06.2022 के माध्यम से पूर्व में चिन्हित Degraded Forest Land (DFL) भूमि से 182 है0 Degraded Forest Land (DFL) भूमि चिन्हित कर मय समस्त अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को प्रेषित किये गऐ हैं (संलग्नक–4)।
2	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	विस्तृत मक डिस्पोजल गणना 5 प्रतियों में उपलब्ध करायें।	मार्ग के नवनिर्माण का कार्य किया जाना है। अतः Muck disposal सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः सुलभ संदर्भ हेतु पूर्व में प्रस्ताव में संलग्न Muck disposal से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है (संलग्नक–5)।
3	Roadside plantation Scheme (as approved by concerned DFO) needs to be submitted.	विषयक प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण किये जाने की विस्तृत योजना 5 प्रतियों में उपलब्ध करायें।	सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान नहर पटरी से हटकर समान्तर अवशेष ROW में 2 लेन मार्ग निर्माण, तटबन्ध निर्माण की NOC दी गयी है। मार्ग निर्माण उपरान्त ROW (भूमि) शेष न बचने के कारण वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जा सकता है। इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–6)।

उपरोक्तानुसार विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दिनांक 21.09.2021 के क्रम में नियमानुसार अनुपालन आख्या एवं गैर वानिकी भूमि (क्षतिपूरक वनीकरण हेतु) का विवरण प्रस्ताव के भाग–1 में अपलोड कर दिया गया है। अतः आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अतुल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता–नोडल
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ

पत्रांक /
दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

(1) मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, वन विभाग, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
(4) अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता–नोडल
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ

D/S/Mayank JI/Letter

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326096
Email: roez.lko-mef@gov.in, gobmefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यूपी0/06/221/2021/एफ0सी0 /403

दिनांक : 21.09.2021

सेवा में,

अति मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

विषय: चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66885 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं0–1278/81–2–2021–600(123)/2021, लखनऊ, दिनांक–17.06.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराए ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके–

1- The proposal is for construction of a new Road, so NFL has to be provided for CA since the implementing agency is State Government.

2- Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.

3- Roadside plantation scheme (as approved by concerned DFO) needs to be submitted.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ)वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड(बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

21/9/2021
(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

संलग्नक-1

LAC
File No - 2842
D.L. No.
D.I. Dt - 31-05-2022

आकार पत्र-1

आदेश

शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05.03.1994 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मै आलोक सिंह, जिलाधिकारी ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05.03.1994 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क0 स0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण:-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	बघौरा ग्राम सभा बघौरा	15 16 17 739मि0 740/2 810मि0 817 228मि0 कुल 08 किता	4.568 4.857 3.820 2.633 2.628 8.282 1.238 7.828 35.854	6-4, पत्थर	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या- 1088/81-2-2022-800 (103)/2021, दिनांक 18.05.2022 के क्रम में वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु

(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी ललितपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

संख्या- 2820 /आठ- एल0ए0सी0- पुर्न0 (2022-23) दिनांक मई 31, 2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग-10, लखनऊ।
3- सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, अनुभाग-5, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ
5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
6- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ
7- आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी
8- मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी
9- उप जिलाधिकारी, ललितपुर।
10- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर।
11- प्रभारी अधिकारी, नजारत कलेक्ट्रेट, ललितपुर को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
12- जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
13- तहसीलदार ललितपुर को तीन प्रतियों में इस आशय से कि आदेश की प्रति संबंधित तहसील भवन एवं संबंधित ग्राम के सहजदृष्य स्थान पर चस्पा कराकर एक प्रति अपनी टिप्पणी सहित इस कार्यालय को वापिस करने हेतु।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी ललितपुर

आकार पत्र–1

आदेश

शासनादेश संख्या–258/रा0–1/16(1)–73, दिनांक 05.03.1994 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय सूचना संख्या–35/740/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मै आलोक सिंह, जिलाधिकारी ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05.03.1994 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरणः–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	ललितपुर	बालाबेहट	कपासी ग्राम सभा कपासी	251/4	16.000	6–4, पहाड़	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या– 1088/81–2–2022–800(103)/2021, दिनांक 18.05.2022 के क्रम में वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु

(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी ललितपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

संख्या–962 /आठ– एल0ए0सी0– पुर्न0 (2022–23) दिनांक मई 31 ,2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ।
3– सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, अनुभाग–5, लखनऊ।
4– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ
5– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
6– आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ
7– आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी
8– मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी
9– उप जिलाधिकारी, ललितपुर।
10– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर।
11– प्रभारी अधिकारी, नजारत कलैक्ट्रेट, ललितपुर को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
12– जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
13– तहसीलदार ललितपुर को तीन प्रतियों में इस आशय से कि आदेश की प्रति संबंधित तहसील भवन एवं संबंधित ग्राम के सहजदृष्य स्थान पर चस्पा कराकर एक प्रति अपनी टिप्पणी सहित इस कार्यालय को वापिस करने हेतु।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी ललितपुर

आकार पत्र–1

आदेश

शासनादेश संख्या–258/रा0–1/16(1)–73, दिनांक 05.03.1994 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–35/740/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मै आलोक सिंह, जिलाधिकारी ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05.03.1994 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण:–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	जाखलौन ग्राम सभा जाखलौन	523 532/1/2 606/4 752/4/1 कुल 04 किता	2.400 9.740 20.300 18.000 50.440	6–4, पहाड़	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या– 1088/81–2–2022–800 (103)/2021, दिनांक 18.05.2022 के क्रम में वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु.

30/5/22
(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी ललितपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

संख्या–2022–/आठ– एल0ए0सी0– पुर्न0 (2022–23) दिनांक मई 31 ,2022

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ।
3– सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, अनुभाग–5, लखनऊ।
4– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ
5– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
6– आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ
7– आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी
8– मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी
9– उप जिलाधिकारी, ललितपुर।
10– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर।
11– प्रभारी अधिकारी, नजारत कलैक्ट्रेट, ललितपुर को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
12– जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
13– तहसीलदार ललितपुर को तीन प्रतियों में इस आशय से कि आदेश की प्रति संबंधित तहसील भवन एवं संबंधित ग्राम के सहजदृष्य स्थान पर चस्पा कराकर एक प्रति अपनी टिप्पणी सहित इस कार्यालय को वापिस करने हेतु।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

30/5/22
(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी ललितपुर

L.A.C.
File No.
D.L. No. 2845
Date 30-05-2022

आकार पत्र–1

आदेश

शासनादेश संख्या–258/रा0–1/16(1)–73, दिनांक 05.03.1994 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–35/740/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03.08.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मै आलोक सिंह, जिलाधिकारी ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05.03.1994 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गोसंगा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरणः–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	ललितपुर	बालाबेहट	धौजरी ग्राम सभा धौरा	26/1 27/1 302/2 कुल 03 किता	30.200 90.500 2.240 122.940	6–4, पहाड़	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या– 1028/81–2–2022–800 (103)/2021, दिनांक 18.05.2022 के क्रम में वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु

30/5/22
(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी ललितपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

संख्या–2023 /आट– एल0ए0सी0– पुर्न0 (2022–23) दिनांक मई 31 ,2022

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ।
3– सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, अनुभाग–5, लखनऊ।
4– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ
5– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
6– आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ
7– आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी
8– मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी
9– उप जिलाधिकारी, ललितपुर।
10– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर।
11– प्रभारी अधिकारी, नजारत कलेक्ट्रेट, ललितपुर को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
12– जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
13– तहसीलदार ललितपुर को तीन प्रतियों में इस आशय से कि आदेश की प्रति संबंधित तहसील भवन एवं संबंधित ग्राम के सहजदृष्य स्थान पर चस्पा कराकर एक प्रति अपनी टिप्पणी सहित इस कार्यालय को वापिस करने हेतु।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

दीपक कुमार

30/5/22
(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी ललितपुर

संलग्नक-2

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर

पत्रांक– 4372 /13-1 दिनांक ललितपुर जून, 06 2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक/
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र
मेरठ।

विषयः– चौधरी चरण सिंह, कांवड सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौध अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1– आपका पत्रांक–4269/14–1, दिनांक 13.05.2022,

2– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0 झांसी का पत्रांक–3685/33–1, दिनांक 24.05.2022 एवं

3– कार्यालय मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, मेरठ का पत्रांक–2096/मे0क्षे0 (कांवड पटरी)/2022, दिनांक 23.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी ललितपुर द्वारा जनपद ललितपुर के तहसील ललितपुर एवं तहसील तालबेहट के अन्तर्गत गैर वनभूमि विषयांकित प्रकरण हेतु [illegible] जिसका संयुक्त स्थलीय निरीक्षण वन विभाग एवं राजस्व विभाग से अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है एवं जी0पी0एस0 के माध्यम से Kml फाइल एवं कैडस्टल मैप तैयार करके इस कार्यालय के पत्र सं0 4291/13-1, दिनांक 01.06.2022 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आई0टी0 सेल [illegible] हेतु प्रेषित की जा चुकी है। उप प्रभागीय वनाधिकारियों एवं क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपयुक्तता/अनुपयुक्तता के सम्बन्धमें स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसकी आख्या निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	रेंज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम एवं गाटा संख्या		क्षेत्रफल (हे0में)	वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपयुक्तता/अनुपयुक्तता	अभ्युक्ति
		ग्राम	गाटा सं0			
1–	ललितपुर	धौजरी	27	90.50	अनुपयुक्त	उक्त भूमि पथरीली, चट्टान युक्त बोल्डर मिश्रित होने के कारण क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी।
2–	ललितपुर	धौजरी	26	30.20	अनुपयुक्त	
3–	ललितपुर	धौजरी	302/2	2.24	अनुपयुक्त	
4–	ललितपुर	कपासी	251/4	16.00	उपयुक्त	भूमि की Soil depth अच्छी है। अतः वृक्षारोपण हेतु मृदा संकाय कार्य किये जा सकते है।
5–	ललितपुर	जाखलौन	606/4	20.30	अनुपयुक्त	प्रस्तावित पठारी चट्टान युक्त पहाड़ी के रूप में है। जिनका Slope अत्यधिक होने के कारण एवं पथरीली चट्टान युक्त मिट्टी क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण उक्त भूमि अनुपयुक्त है। पर्याप्त Root Stock उपलब्ध है। जिसमें ए0एन0आर0 एवं कल्चर कार्य किये जा सकते है।
6–	ललितपुर	जाखलौन	532/1	9.74	अनुपयुक्त	
7–	ललितपुर	जाखलौन	523	2.40	अनुपयुक्त	
8–	ललितपुर	जाखलौन	752 मि0	18.00	अनुपयुक्त	

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

D:\VIKKY_2013\Steno\Letter_Steno 2022

9–	बार	बघौरा	15, 16 एवं 17	17.70	उपयुक्त	भूमि की Soil depth अच्छी है। अतः वृक्षारोपण हेतु मृदा संकाय कार्य किये जा सकते है।
10–	बार	बघौरा	810/3 व 817	7.66	उपयुक्त	भूमि की Soil depth अच्छी है। अतः वृक्षारोपण हेतु मृदा संकाय कार्य किये जा सकते है।
11–	बार	बघौरा	739 व 740	6.71	अनुपयुक्त	पत्थर युक्त चट्टानी पठार है प्रचलित वृक्षारोपण माडलो हेतु मृदा संकाय कार्य सम्भव नहीं है।
12–	बार	बघौरा	228	8.10	अनुपयुक्त	

उक्त ग्रामों में 617/XIV दिनांक 11.10.1952 की विज्ञप्ति के अनुसार वन विभाग को भूमि मिलना अवशेष है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

पत्रांक अ/सम दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– मुख्य वन संरक्षक बुन्देलखण्ड जोन उ0प्र0, झांसी।
2:– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0, झांसी।
3:– मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

CIA

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

D:\VIKKY_2013\Steno\Letter_Steno 2022

संलग्नक -3

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर

पत्रांकः ५५२८ /13–1 दिनांक, ललितपुर 11, जून, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र,
मेरठ।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित जनपद–मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौ0 चरण सिंह कावंड मार्ग (गंगा नहर की दांयी पटरी) के संरेखण में आ रहे संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जनपद– ललितपुर के अंतर्गत प्रायोजन हेतु 222.98 हे0 अर्थात 223 हे0 गैर वानिकी भूमि (NFL) भूमि के चिन्हीकरण कराने एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर से सूचना/आख्या/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा गैर वन भूमि 223हे0 ललितपुर वन प्रभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र0सं0	तहसील का नाम	रेंज का नाम	राजस्व ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)
1.	ललितपुर	ललितपुर	कपासी	251/4	16.00
2.	ललितपुर	ललितपुर	जाखलौन	606/4	20.30
3.	ललितपुर	ललितपुर	जाखलौन	532/1	9.74
4.	ललितपुर	ललितपुर	जाखलौन	523	2.40
5.	ललितपुर	ललितपुर	धौजरी	27	90.50
6.	ललितपुर	ललितपुर	धौजरी	26	30.20
7.	ललितपुर	ललितपुर	धौजरी	302/2	2.24
8.	ललितपुर	ललितपुर	जाखलौन	752 मि0	18.00
9.	तलाबेहट	बार	बघौरा	15, 16 & 17	17.70
10.	तलाबेहट	बार	बघौरा	810/3 & 817	7.66
11.	तलाबेहट	बार	बघौरा	739 & 740	6.71
12.	तलाबेहट	बार	बघौरा	228	8.10
	योग–				229.55

उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि में से 41.00हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त है। जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र0सं0	तहसील का नाम	रेंज का नाम	राजस्व ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)
1.	तालबेहट	बार	बघौरा	810/3 एवं 817	7.66
2.	तालबेहट	बार	बघौरा	15, 16 एवं 17	17.70
3.	ललितपुर	ललितपुर	कपासी	251	16.00

विषयांकित कांवड मार्ग निर्माण हेतु मिर्जापुर वन प्रभाग में अवनत वन भूमि का चयन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में किया जा चुका है। इस सन्दर्भ में नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ महोदय से इस कार्यालय के पत्र सं0–4427/13–1 दिनांक 11.06.2022 द्वारा अनुरोध किया गया है कि शेष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने एवं कार्यवाही हेतु प्रभागीय निदेशक मिर्जापुर को निर्देश देने की कृपा करें।

ललितपुर वन प्रभाग में प्राप्त गैर वन भूमि एवं उक्त में से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर वन भूमि का KML File संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

CIA

भवदीय,

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

पत्रांक ५५२८ अ/सम दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी।
3– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
4– प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक–4377 /मीरजापुर/ 15,दिनांक मीरजापुर जून 14 , 2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर ।

विषय– चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद–मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि ,जनपद–मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 65685 वृक्ष/पौधे एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (FP/UP/ROAD/121197/2021)।

सन्दर्भ–1– आपका कार्यालय पत्रांक–4729/14–1 (FP/UP/ROAD/121197/2021) मुजफ्फरनगर, दिनांक 13.06.2022 ।

2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–2698/11–सी, FP/UP/ROAD/121197/2021, दिनांक 24.05.2021 एवं पत्रांक–3532/11–सी, FP/UP/ROAD/121197/2021, दिनांक 13.06.2022 ।

3– मुख्य वन संरक्षक ,पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 मेरठ का पत्रांक– 2339/14–1 दिनांक 13.06.2022।

महोदय,

आपका उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ व अन्य को पृष्ठांकित है, द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विषयक प्रकरण में आप नोडल अधिकारी नामित है जिसके कम में मुजफ्फरनगर , गाजियाबाद एवं मेरठ वन प्रभाग से सम्बन्धित सूचनाओं को आपके कार्यालय स्तर पर समेकित/संकलित किया जाना है जिस हेतु आप द्वारा इस वन प्रभाग में चयनित 182.00 हे0 अवनत वन भूमि के के0एम0एल0 फाइल, जियो रिफरेंन्सड मैप, 1:50,000 की SOI टोपोशीट, लैण्ड सुटिबिलटी सर्टिफिकेट एवं चयनित क्षेत्रो की वृक्षारोपण की परियोजना प्राक्कलन (10 वर्षीय अनुरक्षण सहित) 07 प्रतियों में (मूल में) अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–2698/11–सी,FP/UP/ROAD/121197/2021, दिनांक 24.05.2021 के अनुपालन में इस वन प्रभाग द्वारा गाजियाबाद वन प्रभाग को क्षेत्रफल–49.40 हे0, मेरठ वन प्रभाग को क्षेत्रफल–169.20 हे0 एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग को क्षेत्रफल–84.00 हे0 इस कार्यालय के कमशः पत्रांक–54, 55 एवं 56/मीरजापुर/दिनांक 05.07.2021 द्वारा उपरोक्त उल्लिखित अभिलेख पूर्व में ही विषयक प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराये जा चुके है।

पुनः आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में संशोधित क्षेत्रफल 182.00 हे0 अवनत वन भूमि उपरोक्त आवंटित वन भूमि में से मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अवनत वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	क0न0	DSS Analysis के उपरान्त अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)	अवनत वन भूमि का प्रकार
1–	मीरजापुर वन प्रभाग	विण्ढमफाल रेंज	दोंती क0न0–1 (सूर्यवार)	66.50	आरक्षित (RF)
2–		ह्रमण्डगंज रेंज	बबुरा क0न0–2 (महुगढ़ी)	40.00	आरक्षित (RF)
3–		मटेहरा रेंज	घोरी क0न0–2(जहदर)	84.00	आरक्षित (RF)
			योग –	190.50	

Scanned with CamScanner

इस कार्यालय के पत्रांक–54, 55 एवं 56/मीरजापुर/ दिनांक 05.07.2021 द्वारा पूर्व में आवंटित क्षेत्रफल–302.60 हे0 – 190.50 हे0 = 112.10 हे0 अवनत वन भूमि विषयक प्रयोजन से युक्त समझी जायेगी।

उक्त अवनत वन भूमि का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में स्थित GIS सेल के माध्यम से फारेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया के साफ्टवेयर पर DSS Analysis कराने के उपरान्त अवनत वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.4 अथवा 40 प्रतिशत से कम घनत्व पाया गया। प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु अपेक्षित अभिलेख तैयार कर 05 प्रतियों में प्रेषित है:–

1– 182.00 हे0 अवनत वन भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र (लैण्ड सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट) ।

2– 182.00 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण की परियोजना मय 10 वर्षीय अनुरक्षण सहित (प्रॉक्कलन) (संलग्न है)।

3– अवनत वन भूमि की हस्ताक्षरित SOI टोपोशीट (Soi Toposheet)।
(इस कार्यालय के पत्रांक–55 व 56/मी0/दिनांक 05.07.2021 द्वारा पूर्व में सम्बन्धित प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है)।

4– अवनत वन भूमि की हस्ताक्षरित जियो रेफेंसड मैप (Geo Referenced map)।
(इस कार्यालय के पत्रांक–55 व 56/मी0/दिनांक 05.07.2021 द्वारा पूर्व में सम्बन्धित प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है)।

5– के0एम0एल0 फाइल सी0डी0 सहित (Kml File)।
(इस कार्यालय के पत्रांक–55 व 56/मी0/दिनांक 05.07.2021 द्वारा पूर्व में सम्बन्धित प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है)।

6– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0,उ0प्र0,लखनऊ का अवनत वन भूमि का DSS Analysis प्रमाण पत्र (संलग्न है)।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0एस0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 4377 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
3. मुख्य वन संरक्षक ,पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 मेरठ ।
4. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी , मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

(पी0एस0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

Scanned with CamScanner

182.00 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद–मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि ,जनपद–मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् **कुल 222.98 हे0** संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 65685 वृक्ष/पौधो एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (FP/UP/ROAD/121197/2021) हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अपेक्षित अवनत वन भूमि मीरजापुर वन प्रभाग के विण्ढमफाल रेंज अन्तर्गत दॉती क0न0–1 (सूर्यवार) क्षेत्रफल–66.50 हे0, ड्रमण्डगंज रेंज अन्तर्गत (बबुरा क0न0–2, महुगढ़ी), क्षेत्रफल–40.00 हे0 एवं पटेहरा रेंज अन्तर्गत घोरी क0न0–2(जहदर) क्षेत्रफल–84.00 हे0, कुल क्षेत्रफल–190.50 हे0 चिन्हित की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अवनत वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क0 सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	क0न0	DSS Analysis के उपरान्त अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)	अवनत वन भूमि का प्रकार
1–	मीरजापुर वन प्रभाग	विण्ढमफाल रेंज	दॉती क0न0–1 (सूर्यवार)	66.50	आरक्षित (RF)
2–		ड्रमण्डगंज रेंज	बबुरा क0न0–2 (महुगढ़ी)	40.00	आरक्षित (RF)
3–		पटेहरा रेंज	घोरी क0न0–2(जहदर)	84.00	आरक्षित (RF)
			योग –	**190.50**	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अवनत वन भूमि पर शीशम, इमली, नीम, आम, महुआ, कठसागौन, सागौन, ऑवला, कंजी, चिलबिल, सेमल एवं जामुन आदि के पौधो का रोपण किया जायेगा जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उचित है, तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त आरक्षित वन भूमि विवाद रहित तथा अतिक्रमण से मुक्त है। चिन्हित वन भूमि का फारेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया के साफ्टवेयर पर DSS Analysis कराने के उपरान्त वानस्पतिक घनत्व 0.4 अथवा 40 प्रतिशत से कम घनत्व पाया गया।

(पी0एस0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद–मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि ,जनपद–मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 65685 वृक्ष/पौधो एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (FP/UP/ROAD/121197/2021) अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल मीरजापुर वन प्रभाग के 182.00 हे0 अवनत भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ के पत्रांक–128/2–37–2(सीलिंग दर) दिनांक 25.08.2016, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्र संख्या–5476/मी0क्षे0/ 7–7 (15) दिनांक 18.06.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–जी–93/15–1(सीलिंग दर) दिनांक 30.09.2020 के अनुसार 10 वर्षीय योजना, मुद्रा स्फीती के कारण 6 प्रतिशत मूल्य वृद्धि एवं सेन्टेज चार्ज सहित प्रॉक्कलन निम्न प्रकार है:–

पठारी क्षेत्रों हेतु व्यय अनुमान
वृक्षारोपण वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)

क्षेत्रफल– 10.00 हे0
गढ्ढो की सं0–1100 प्रति हे0
पत्थर दीवाल लम्बाई–800.00 मी0

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	10	हे0	54.00	540.00
2.	निरीक्षण मार्ग का निर्माण	1	कि0मी0	4839.00	4839.00
3.	क्षेत्र की सफाई (लेन्टानायुक्त सघनता) 25 से 50 %	10	हे0	2763.00	27630.00
4.	निशानदेही गढ्ढा	11000	प्रति सै0	40.80	4488.00
5.	अग्रिम मृदा कार्य– गढ्ढा खुदान (45X45x45) से0मी0 पठारी भूमि	11000	प्रति गढ्ढा	10.40	114400.00
6.	पत्थर दीवाल निर्माण (1.20X0.80x1.00) मी0 2	800	प्रति मी0	340.50	272400.00
7.	पत्थर दीवाल पर 10 से0मी0 मिट्टी चढाई	800	प्रति मी0	4.40	3520.00
8.	अन्य व्यय (हे0 में)	10		ल0स0	600.00
				योग–	**428417.00**
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	**25705.02**
				योग–	**454122.02**

(वृक्षारोपण कार्य)

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	गढ्ढा भरान कार्य (45x45x45) से0मी0	11000	प्रति गढ्ढा	1.20	13200.00
2.	स्थलीय पौध नर्सरी से पौध ढुलान 50 किमी. तक	11330	प्रति पौध	3.25	36822.50
3.	गढ्ढो मे रोपण स्थानीय ढुलान सहित	11000	प्रति पौध	2.40	26400.00
4.	थावला बनवाई	11000	प्रति थावला	2.65	29150.00
5.	निराई–गुडाई (3 बार)	11000	प्रति सै0/ प्रति0वार	90.00	29700.00
6.	कीटनाशक एवं उर्वरक का क्रय व प्रयोग (1 बार)	11000	प्रति पौध प्रतिवार	8.65	95150.00
7.	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (प्रति 10 हे0) जुलाई से मार्च तक	234	प्रति दिवस	201	47034.00
8.	रोपावनी बोर्ड				4603.77
9.	अन्य व्यय		ल0स0		500.00
				योग–	**282560.27**
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	**16953.62**
				योग–	**299513.89**

प्रथम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	असफल गढ्ढो में पौधो की बदलवाई हेतु पौधो (10 % पौध) छोटी थैली पौध का ढुलान किमी. 50 तक	1100	प्रति पौध	3.25	3575.00
2.	रोपण एवं स्थानीय ढुलान	1100	पौध	2.40	2640.00
3.	पौधो की निराई–गुडाई (3 बार)	11000	प्रति सै0	90.00	29700.00
3 क	सफल पौधो के थावले की मरम्मत	11000	प्रति पौध प्रति वार	1.65	18150.00
4.	रोपावनी क्षेत्र में वर्ष में 1 बार पौधो की लाइन में 1 मी0 चौडाई में घास कटाई	10	प्रति हे0	851	8510.00
5.	रोपित पौधो में यूरिया का प्रयोग (2 बार)	11000	प्रति पौध	0.72	15840.00
6.	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	312	दिवस	201	62712.00
7.	प्रकृतिक पौधो का सीलिंग/कल्चर कार्य	10	हे0	587	5870.00
8.	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक 02 श्रमिक	90	दिवस	201	18090.00
9.	अन्य व्यय			ल0स0	2500.00
				योग–	167587.00
		6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय			10055.22
				योग–	177642.22

द्वितीय वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	पौधो की निराई गुड़ाई 3 बार	11000	प्रति सै0 प्रति वार	90.00	29700.00
2.	अग्नि सुरक्षा 02 श्रमिक	90	प्रति दिन	201	18090.00
3.	सुरक्षा खाई की फेशनिग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि	–	–	ल0स0	40000.00
4.	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (8 हेक्टेयर पर एक)	312	प्रतिदिन	201	62712.00
5.	रोपावनी क्षेत्र में वर्ष में 1 बार पौधो की लाइन में 1 मी0 चौडाई में घास कटाई	10	प्रति हे0	851	8510.00
6.	अन्य व्यय			ल0स0	3000.00
				योग–	162012.00
		6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय			9720.72
				योग–	171732.72

तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	पौधो की निराई गुड़ाई 02 बार	11000	प्रति सै0, प्रति वार	90	19800.00
2.	अग्नि सुरक्षा 02 श्रमिक	90	प्रतिदिन	201	18090.00
3.	सुरक्षा खाई की फेशनिग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि	–	–	ल0स0	46000.00
4.	प्रजातिवार ऊबाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख–रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	–	–	ल0स0	13000.00
5.	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (8 हेक्टेयर पर एक)	312	प्रतिदिन	201	62712.00
6.	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	7008.00
				योग–	166610.00
		6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय			9996.6
				योग–	176606.60

चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि	–	–	ल0स0	14000.00
2.	प्रजातिवार ऊबाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख–रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	–	–	ल0स0	13000.00
3.	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हेक्टेयर पर एक)	180	प्रतिदिन	201	36180.00
4.	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	4170.00
				योग–	67350.00
		6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय			4041
				योग–	71391.00

पंचम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	सुरक्षा खाई की फ्रेशनिग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि	–	–	ल0स0	3000.00
2.	वन क्षेत्राधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में रोपित पौधो की आवश्यकतानुसार प्रूनिग/छटाई (वृत्त दरों पर)	11000.00	प्रति सैकड़ा	300.14	33015.40
3.	प्रजातिवार ऊबाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख–रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	–	–	ल0स0	13000.00
4.	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हेक्टेयर पर एक)	180	प्रतिदिन	201	36180.00
5.	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	1135.00
				योग–	86330.40
		6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय			5179.824
				योग–	91510.22

षष्टम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हेक्टेयर पर एक)	180	प्रतिदिन	201	36180.00
2.	प्रजातिवार ऊबाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख–रखाव(मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	–	–	ल0स0	13000.00
3.	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	10750.00
				योग–	59930.00
		6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय			3595.8
				योग–	63525.80

सप्तम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हेक्टेयर पर एक)	180	प्रतिदिन	201	36180.00
2.	प्रजातिवार ऊबाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख–रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	–	–	ल0स0	13000.00
3.	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	10750.00
				योग–	59930.00
		6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय			3595.8
				योग–	63525.80

अष्टम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	प्रजातिवार ऊबाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख–रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	–	–	ल0स0	13000.00
2.	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	1080.00
				योग–	14080.00
		6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय			844.8
				योग–	14924.80

नवम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	प्रजातिवार ऊबाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख–रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	–	–	ल0स0	13000.00
2	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	1080.00
				योग–	14080.00
		6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय			844.8
				योग–	14924.80

दशम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	प्रजातिवार ऊबाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख–रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	–	–	ल0स0	13000.00
2	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	1080.00
				योग–	14080.00
		6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय			844.8
				योग–	14924.80

वृक्षारोपण वर्ष	1. (अग्रिम मृदा कार्य)– 454122.02	753635.91
	2. (वृक्षारोपण कार्य)– 299513.89	
प्रथम वर्ष अनुरक्षण–		177642.22
द्वितीय वर्ष अनुरक्षण		171732.72
तृतीय वर्ष अनुरक्षण		176606.60
चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण		71391.00
पंचम् वर्ष अनुरक्षण		91510.22
षष्टम् वर्ष अनुरक्षण		63525.80
सप्तम् वर्ष अनुरक्षण		63525.80
अष्टम् वर्ष अनुरक्षण		14924.80
नवम् वर्ष अनुरक्षण		14924.80
दशम् वर्ष अनुरक्षण		14924.80
योग 10 हे0 हेतु –		16,14,344.67
1.00 हे0 हेतु वांछित धनराशि		1,61,434.46
	या	1,61,434.00
182.00हे0 हेतु वांछित धनराशि	182.00	2,93,80,988.00

प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग–2 लखनऊ के शासनादेश संख्या–ए–2–1606/10–2014–17(4)/75 लखनऊ दिनांक 11.11.2014 में स्तम्भ–2 में उल्लिखित "सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों व अन्य निर्माण इकाईयों/स्वायतशासी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जाने वाले कार्यो पर सेंटेज कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत अनुमन्य होगा, किन्तु राजकीय विभागों द्वारा कैश केडिट लिमिट (सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपाजिट केडिट लिमिट (डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो पर दिनांक 01.04.2014 से सेंटेज कार्याश (लागत 100) का 6.875 प्रतिशत अनुमन्य होगा। यदि सम्बन्धित विभागों के द्वारा जिन कार्यो पर 12.5 प्रतिशत की दर से सेंटेज (अधिष्ठान व्यय) राजकोष में जमा किया जा चुका है, उन्हे पुनरोद्घाटित नही किया जायेगा"।

उक्त धनराशि **2,93,80,988.00** पर **6.875%** सेन्टेज सहित वांछित धनराशि= **3,14,00,931.00** (तीन करोड़ चौदह लाख नौ सौ इकतीस रूपये) मात्र ।

नोट– उपरोक्त धनराशि वर्तमान दर के अनुसार प्रॉक्कलित है जो उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों/गाइड लाइन के अनुसार परिवर्तनीय है।

(पी0एस0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक-5

Office of The Executive Engineer
Construction Division (Building), PWD, Meerut.
cd1pwdmeerut@gmail.com

Letter No : PWD/01 **Date: 02.02.2021**

FULL TITTLE OF PROJECT: DIVERSION OF 222.98 HECT. OF P.F. LAND FOR CONSTRUCTION OF CHAUDHARY CHARAN SINGH KAVAD MARG ON RHS SIDE SHOULDER OF UPPER GANGA CANAL FROM KM CH. 51.910 TO KM CH.108.750 IN DISTRICT- MUZAFFAR NAGAR, KM CH.108.750 TO KM CHAINAGE 151.050 IN DISTRICT-MEERUT, AND KM CHAINAGE 151.050 TO KM CH.163.40 IN GHAZIABAD DISTRICT, IN UTTAR PRADESH

MUCK DISPOSAL CERTIFICATE

This is to certify that there shall be no any type of earth excavation in Diversion of 222.98 Hectare of protected forest land for Construction of Chaudhary Charan Singh Kavad Marg On RHS Side Shoulder Of Upper Ganga Canal From Km Ch. 51.910 To Km Ch.108.750 In District- Muzaffar Nagar, Km Ch.108.750 To Km Chainage 151.050 in District- Meerut, And Km Chainage 151.050 To Km Ch.163.40 In Ghaziabad District, Uttar Pradesh , Total length 111.49 km), Uttar Pradesh. Hence there is no proposal of muck disposal permissible for this project.

Disposal/Management Plan

While preparing FCA case, if there is any activity in the project which involves digging of land, muck disposal/management plan has to be prepared.

Should include :-

1. Calculation of muck to be generated self factor has to be applied **N.A.**
2. Quantity of muck to utilized in the project activities **N.A.**
3. Balance quantity of muck. Which requires disposal/management plan ? **N.A.**
4. Carriage of muck from the muck generation site in the dumping site. **N.A.**
5. Ownership of land and the consent of land owner, in case muck disposal on non forest land **.N.A.**
6. Photograph & carrying capacity of proposed dumping site (muck disposal site) **N.A.**
7. Development of dumping site-construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck. **N.A.**
8. Rehabilitation of dumping site like levelling planting of grass, shrubs and tree species. **N.A.**

After construction work of approach road will be done

Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Details of dumping site including length, width and height of structures to be excavated must be mentioned.

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Executive Engineer
Construction Division (Building)
P.W.D., Meerut

Office of The Executive Engineer
Construction Division (Building), PWD, Meerut.
cd1pwdmeerut@gmail.com

Letter No : PWD/01 **Date: 02.02.2021**

Undertaking by the user agency has to be given to the effect that :

1- Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the plan, they will be liable to penalty/action at their cost.
2- The proposed dumping site is located away from river/stream/nala.

Executive Engineer
Construction Division (Building)
P.W.D., Meerut

(C.P SINGH)
EXECUTIVE ENGINEER,
CONSTRUCTION DIVISION (BUILDING), PWD MEERUT

Place : Meerut
Date: 02-02-2021

c/A

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक–6

ONLINE PROPOSAL NO. FP/UP/ROAD/121197/2021

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ.सी./403 दि0 21.09.2021 के बिन्दु संख्या–03 के क्रम में सड़क किनारे पौधारोपण की परियोजना के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (दांयी पटरी) निर्माण के कि0मी0 51.910 से लेकर 163.40 (जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद) तक कुल 222.98 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान नहर पटरी से हटकर समान्तर अवरोध ROW (भूमि) में दो लेन मार्ग निर्माण, तटबन्ध निर्माण की एन0ओ0सी0 दी गई है। मार्ग निर्माण उपरान्त ROW (भूमि) शेष न बचने के कारण मार्ग किनारे वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जा सकता है। इस हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा वचनबद्धता दी जाती है।

(अतुल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता–नोडल
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ

(अतुल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मेरठ

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

D/S/Mayank JI/Letter

Geo-Reference Map of Proposed 7.66 Hectare CA Land in Reserve Forest Block Baghaura, Gata No.- 810/ 3 & 817, Forest Division Baar, Against Diversion of Proposed Protected Forest Land For Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg On RHS Side Shoulder of Upper Ganga Canal From Km Ch. 51.910 to Km Ch.108.750 in District-Muzaffar Nagar, Km Ch.108.750 to Km Ch. 151.050 in District-Meerut, and Km Ch. 151.050 to Km Ch.163.40 in Ghaziabad District, (Total Length 111.49 Km) in Uttar Pradesh

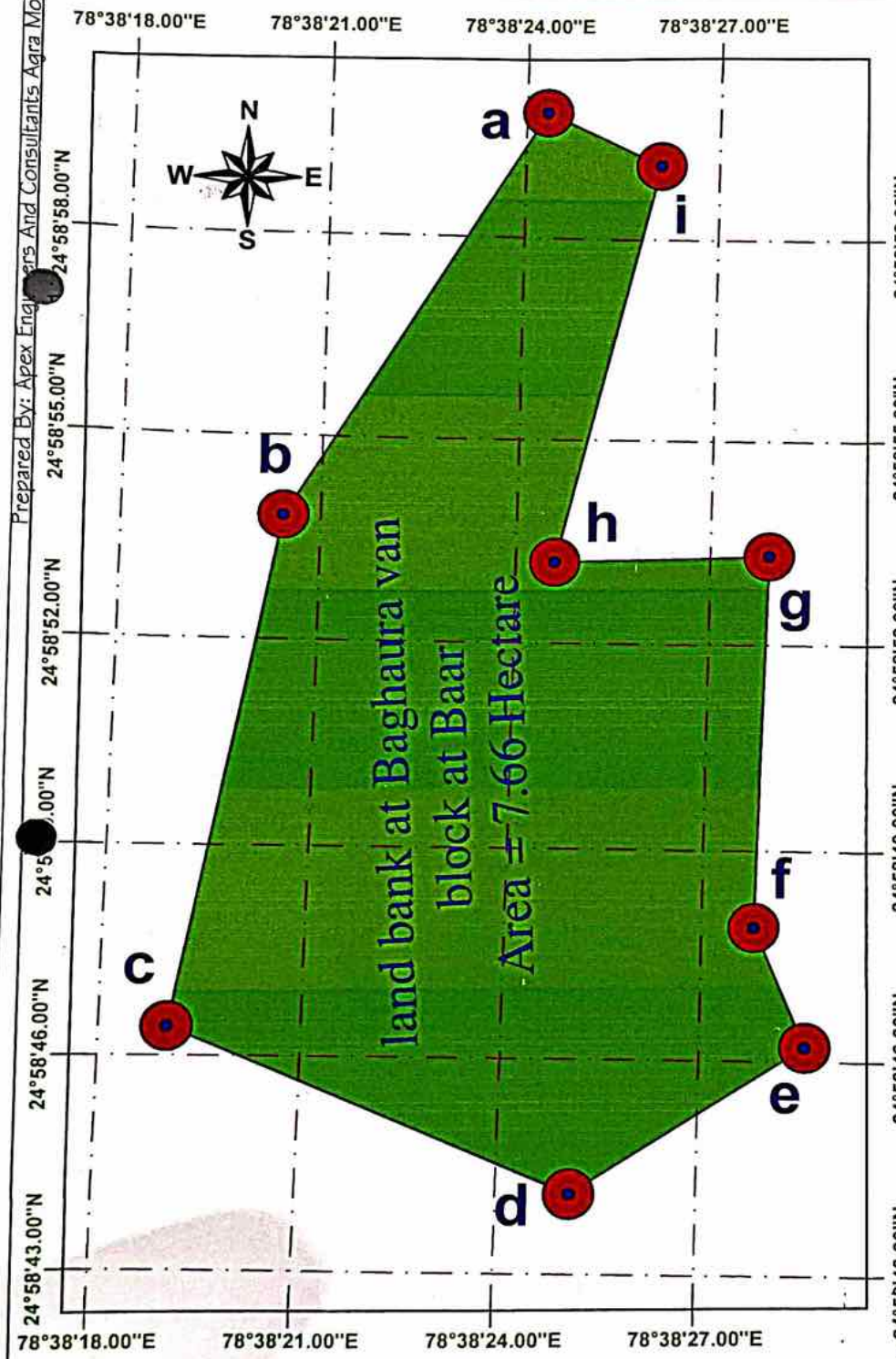

GEO REFERENCE CO-ORDINATES		
LOCATION	LONGITUDE	LATITUDE
(a)	78°38' 24.32"E	24°58' 59.87"N
(b)	78°38' 20.43"E	24°58' 53.82"N
(c)	78°38' 19.00"E	24°58' 46.40"N
(d)	78°38' 25.10"E	24°58' 44.10"N
(e)	78°38' 28.60"E	24°58' 46.20"N
(f)	78°38' 27.79"E	24°58' 47.89"N
(g)	78°38' 27.90"E	24°58' 53.31"N
(h)	78°38' 24.59"E	24°58' 53.19"N
(i)	78°38' 26.10"E	24°58' 59.10"N

LEGEND

GPS CO-ORDINATES OF THE LOCATION

BAGHAURA VAN BLOCK, AT BAAR

(कान्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

(अतुल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, नो०नि०वि०
मेरठ

Prepared By: Apex Engineers And Consultants Agra Mob- 9412160537

Geo-Reference Map of Proposed 16.00 Hectare CA Land in Reserve Forest Block Kapasi, Gata No.- 251/ 4, Forest Division Lalitpur, Against Diversion of Proposed Protected Forest Land For Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg On RHS Side Shoulder of Upper Ganga Canal From Km Ch. 51.910 to Km Ch.108.750 in District-Muzaffar Nagar, Km Ch.108.750 to Km Ch. 151.050 in District-Meerut, and Km Ch. 151.050 to Km Ch.163.40 in Ghaziabad District, (Total Length 111.49 Km) in Uttar Pradesh

Prepared By: Apex Engineers And Consultants Agra Mob- 9412160537

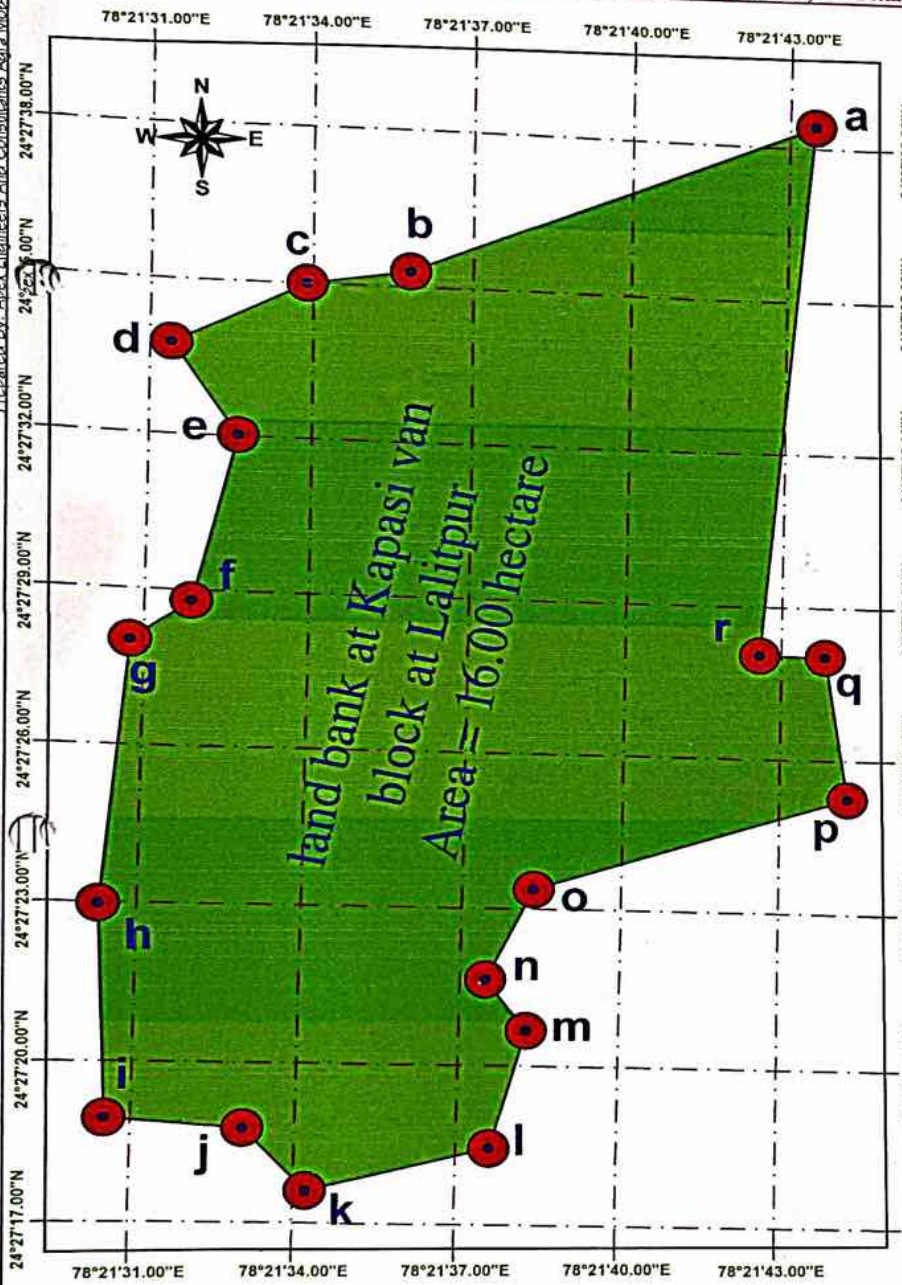

GEO REFERENCE CO-ORDINATES		
LOCATION	LONGITUDE	LATITUDE
(a)	78°21' 43.48"E	24°27' 38.40"N
(b)	78°21' 35.82"E	24°27' 35.28"N
(c)	78°21' 33.88"E	24°27' 34.99"N
(d)	78°21' 31.38"E	24°27' 33.77"N
(e)	78°21' 32.63"E	24°27' 32.02"N
(f)	78°21' 31.84"E	24°27' 28.78"N
(g)	78°21' 30.75"E	24°27' 28.00"N
(h)	78°21' 30.31"E	24°27' 22.96"N
(i)	78°21' 30.52"E	24°27' 18.93"N
(j)	78°21' 33.03"E	24°27' 18.76"N
(k)	78°21' 34.22"E	24°27' 17.59"N
(l)	78°21' 37.61"E	24°27' 18.43"N
(m)	78°21' 38.25"E	24°27' 20.67"N
(n)	78°21' 37.47"E	24°27' 21.63"N
(o)	78°21' 38.34"E	24°27' 23.37"N
(p)	78°21' 44.31"E	24°27' 25.24"N
(q)	78°21' 43.84"E	24°27' 28.02"N
(r)	78°21' 42.57"E	24°27' 28.03"N

LEGEND

GPS CO-ORDINATES OF THE LOCATION

KAPASI VAN BLOCK AT LALITPUR

(अतुल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मेरठ

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

(एन0के0 पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Geo-Reference Map of Proposed 17.70 Hectare CA Land in Reserve Forest Block Baghaura, Gata No.- 15, 16, 17, Forest Division Baar, Against Diversion of Proposed Protected Forest Land for Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg On RHS Side Shoulder of Upper Ganga Canal From Km Ch. 51.910 to Km Ch.108.750 in District-Muzaffar Nagar, Km Ch.108.750 to Km Ch. 151.050 in District-Meerut, and Km Ch. 151.050 to Km Ch.163.40 in Ghaziabad District, (Total Length 111.49 Km) in Uttar Pradesh

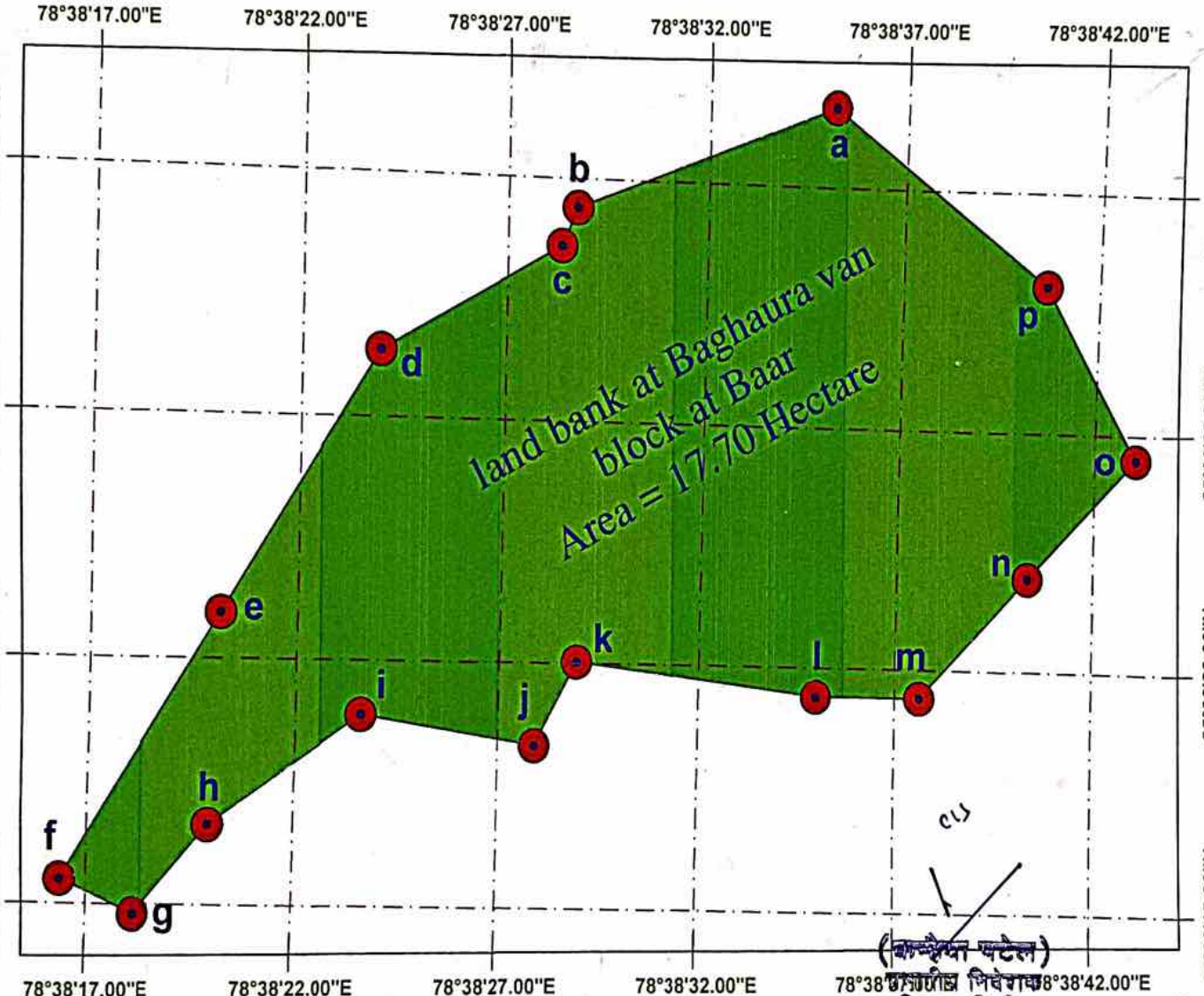

GEO REFERENCE CO-ORDINATES		
LOCATION	LONGITUDE	LATITUDE
(a)	78°38' 35.16"E	25°00' 31.63"N
(b)	78°38' 28.71"E	25°00' 29.40"N
(c)	78°38' 28.33"E	25°00' 28.61"N
(d)	78°38' 23.92"E	25°00' 26.37"N
(e)	78°38' 20.14"E	25°00' 20.93"N
(f)	78°38' 16.36"E	25°00' 15.49"N
(g)	78°38' 18.16"E	25°00' 14.80"N
(h)	78°38' 19.93"E	25°00' 16.61"N
(i)	78°38' 23.61"E	25°00' 18.88"N
(j)	78°38' 27.91"E	25°00' 18.30"N
(k)	78°38' 28.92"E	25°00' 20.02"N
(l)	78°38' 34.98"E	25°00' 19.39"N
(m)	78°38' 37.63"E	25°00' 19.40"N
(n)	78°38' 40.34"E	25°00' 21.94"N
(o)	78°38' 43.04"E	25°00' 24.48"N
(p)	78°38' 40.65"E	25°00' 28.06"N

LEGEND

GPS CO-ORDINATES OF THE LOCATION

BAGHAURA VAN BLOCK AT BAAR

(कान्हैया पटेल)
वन क्षेत्राधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(रंजन कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
मेरठ

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

Prepared By: Apex Engineers And Consultants Aara Mob- 9412160537

Topo Sheet of Proposed 16.00 Hectare CA Land in Reserve Forest Block Kapasi, Gata No.- 251/ 4, Forest Division Lalitpur, Against Diversion of Proposed Protected Forest Land For Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg On RHS Side Shoulder of Upper Ganga Canal From Km Ch. 51.910 to Km Ch.108.750 in District-Muzaffar Nagar, Km Ch.108.750 to Km Ch. 151.050 in District-Meerut, and Km Ch. 151.050 to Km Ch.163.40 in Ghaziabad District, (Total Length 111.49 Km) in Uttar Pradesh

OPEN SERIES MAP

No. G44S7

Scale 1:50,000

G44S2	G44S6	G44S10
G44S3	G44S7	G44S11
G44S4	G44S8	G44S12

CONVENTIONAL SYMBOLS

1:50,000

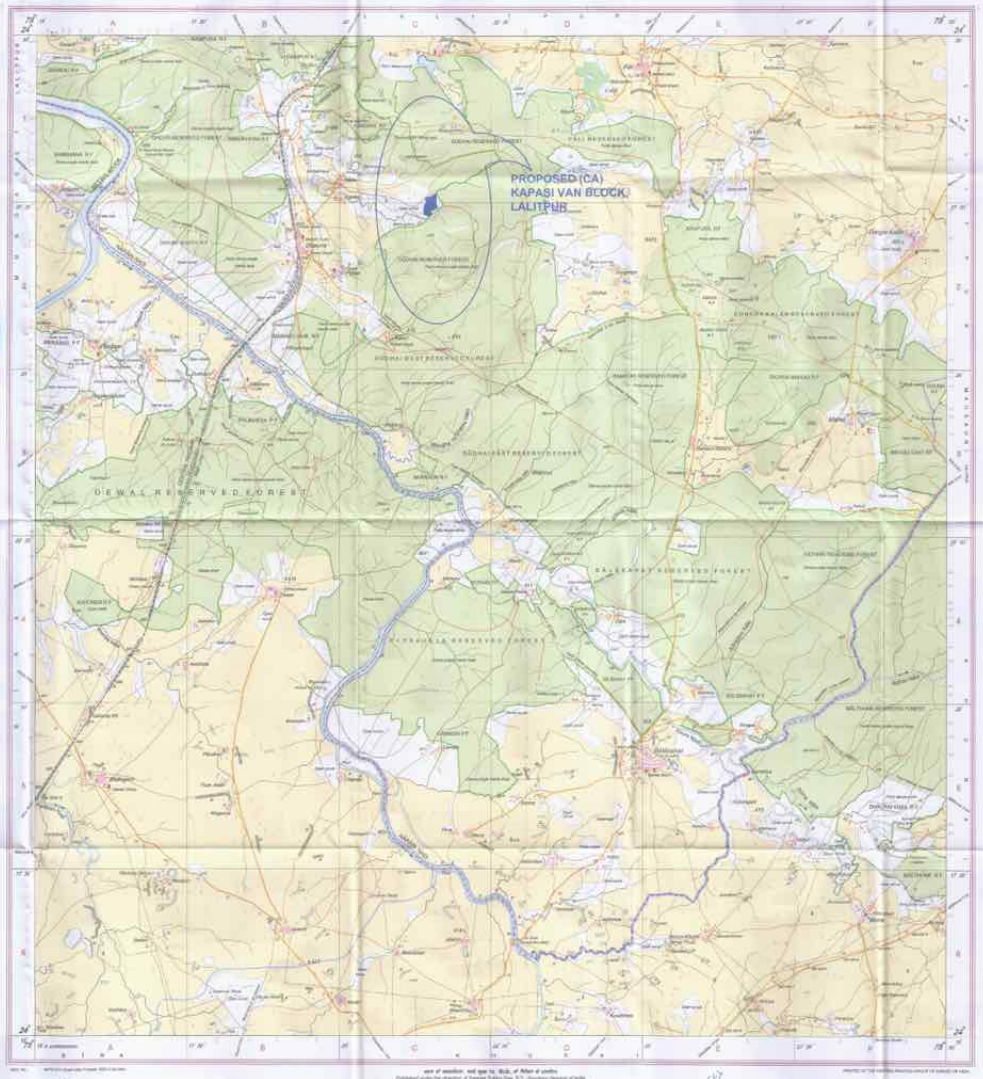

LEGEND:

PROPOSED (CA) KAPASI VAN BLOCK, LALITPUR

Topo Sheet of Proposed 17.70 Hectare CA Land in Reserve Forest Block Baghaura, Gata No.- 15, 16, 17 & 810/ 3, 817, Forest Division Baar, Against Diversion of Proposed Protected Forest Land for Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg On RHS Side Shoulder of Upper Ganga Canal From Km Ch. 51.910 to Km Ch.108.750 in District-Muzaffar Nagar, Km Ch.108.750 to Km Ch. 151.050 in District-Meerut, and Km Ch. 151.050 to Km Ch.163.40 in Ghaziabad District, (Total Length 111.49 Km) in Uttar Pradesh

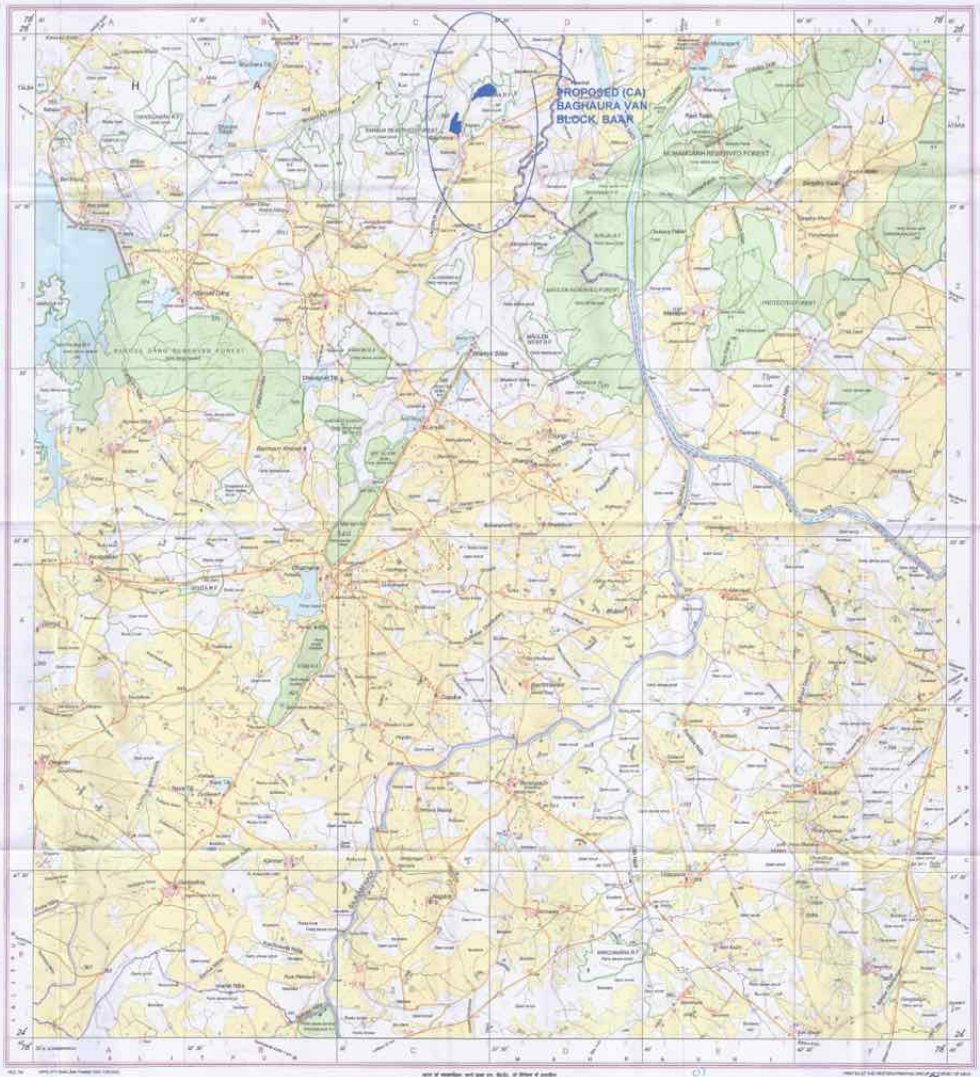

OPEN SERIES MAP

No. G44S9

Scale 1:50,000

G44M8 G44M12 G44M16
G44S5 G44S9 G44S13
G44S6 G44S10 G44S14

1 Bilaspur, MADHYA PRADESH 2 Dabra, MADHYA PRADESH 3 Bilaria, UTTAR PRADESH 4 Ashoknagar, MADHYA PRADESH

भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

CONVENTIONAL SYMBOLS

NOTES -

COMPILATION INDEX

Projection - UTM Datum - WGS 84

Magnetic Variation from True North about 2° East in 2005
Decreasing by about 7 minutes

1:50,000

CONTOUR INTERVAL 10 METRES

Director
East Uttar Pradesh Data Digitial Data Centre
Survey of India
B-2 Wards, 3rd Floor, PWD Bhawan, Gandhi Nagar, Lucknow

WEBSITE : www.surveyofindia.gov.in

Reproduction in whole or part by any means is prohibited without the written permission of Survey of India, the National Mapping Agency.

© government of India copyright year

LEGEND:

PROPOSED (CA) BAGHAURA VAN BLOCK, BAAR

सर्वे भारत, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
Published under the direction of Surveyor General of India
Survey of India, Hathibarkala Estate, Post Box No.37, Dehra Dun-248001 (Uttarakhand)
Department of Science & Technology, Government of India

प्रबन्धक
छायांकन सर्वेक्षी प्रभाग
देहरादून

Geo-Reference Map of Proposed 84.00 Hectare CA Land in Reserve Forest Block ~~Dauraha~~ Ghori, Forest Division Mirzapur, Against Diversion of Proposed Protected Forest Land For Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg On RHS Shoulder of Upper Ganga Canal Form KM Ch. 51.910 To 108.750 (Length 56.84 KM) In District-Muzaffar Nagar, Meerut (U.P.)

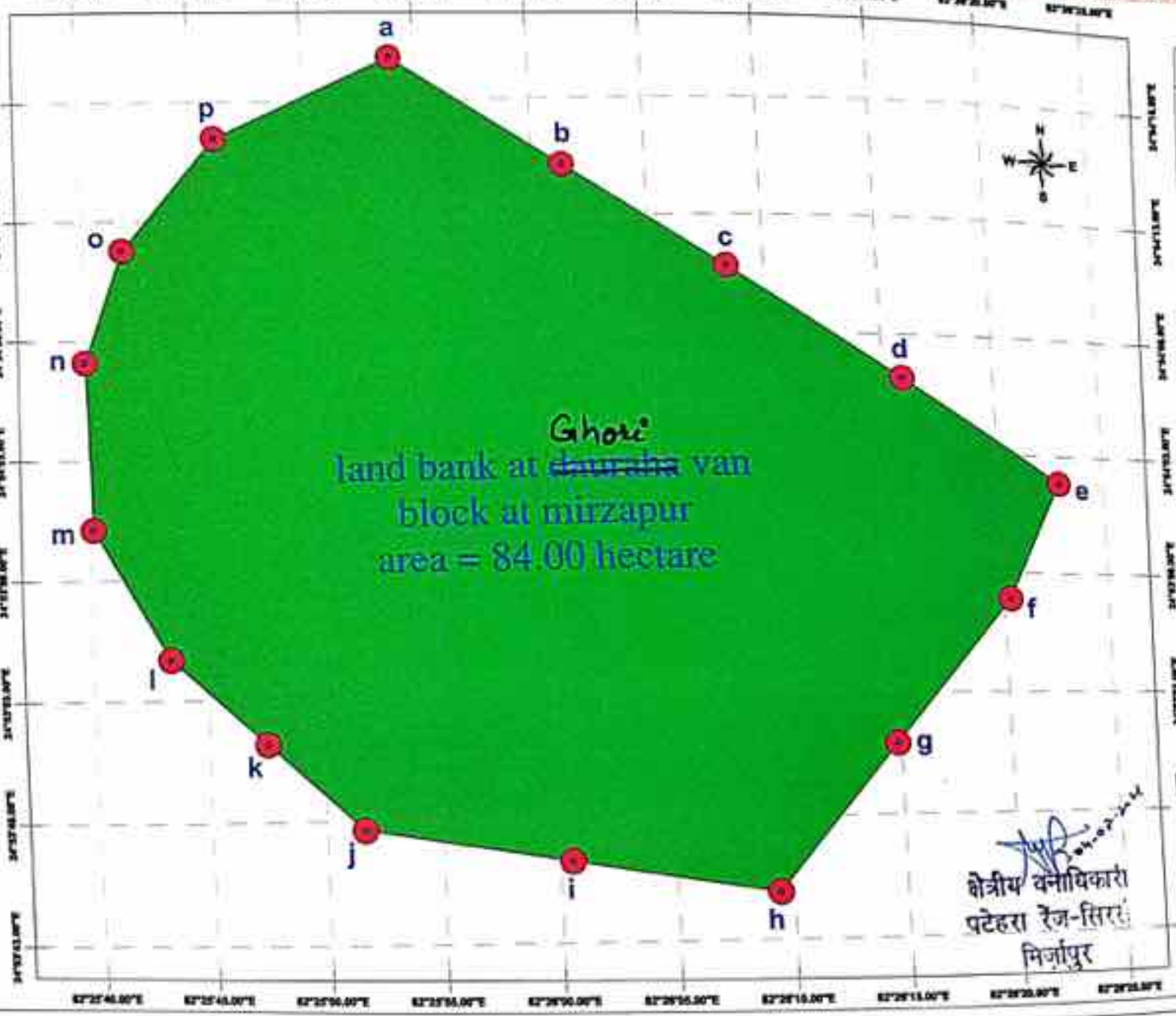

GEO REFERENCE CO-ORDINATES		
LOCATION	LONGITUDE	LATITUDE
(a)	82°25' 54.21"E	24°54' 19.81"N
(b)	82°26' 01.74"E	24°54' 15.19"N
(c)	82°26' 08.66"E	24°54' 10.82"N
(d)	82°26' 16.47"E	24°54' 06.16"N
(e)	82°26' 23.52"E	24°54' 01.83"N
(f)	82°26' 20.93"E	24°53' 56.90"N
(g)	82°26' 15.42"E	24°53' 50.90"N
(h)	82°26' 09.91"E	24°53' 44.91"N
(i)	82°26' 00.92"E	24°53' 46.27"N
(j)	82°25' 51.92"E	24°53' 47.63"N
(k)	82°25' 47.76"E	24°53' 51.15"N
(l)	82°25' 43.60"E	24°53' 54.68"N
(m)	82°25' 40.30"E	24°54' 00.11"N
(n)	82°25' 40.10"E	24°54' 07.11"N
(o)	82°25' 41.90"E	24°54' 11.79"N
(p)	82°25' 46.19"E	24°54' 16.49"N

LEGEND

- GPS CO-ORDINATES OF THE LOCATION
- DAURAHA VAN BLOCK AT MIRZAPUR

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटेहरा रेंज-सिरसी
मिर्जापुर

Geo-Reference Map of Proposed 40.00 Hectare CA Land in Reserve Forest Block Mahugari, Forest Division Mirzapur, Against Diversion of Proposed Protected Forest Land For Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg On RHS Shoulder of Upper Ganga Canal Form KM Ch. 108.75 To 151.050 (Length 42.30 KM) In District-Meerut, (U.P.)

Prepared By: Ajnta Engineers And Consultants Agra Mob- 9412121605537

GEO REFERENCE CO-ORDINATES		
LOCATION	LONGITUDE	LATITUDE
(a)	82°10' 36.95"E	24°51' 19.62"N
(b)	82°10' 40.45"E	24°51' 18.23"N
(c)	82°10' 46.30"E	24°51' 19.15"N
(d)	82°10' 48.24"E	24°51' 18.59"N
(e)	82°10' 49.73"E	24°51' 15.84"N
(f)	82°10' 50.46"E	24°51' 12.60"N
(g)	82°10' 49.31"E	24°51' 08.52"N
(h)	82°10' 48.06"E	24°51' 06.44"N
(i)	82°10' 48.29"E	24°51' 05.72"N
(j)	82°10' 47.18"E	24°51' 02.22"N
(k)	82°10' 42.81"E	24°50' 58.10"N
(l)	82°10' 38.57"E	24°50' 57.45"N
(m)	82°10' 35.54"E	24°50' 58.14"N
(n)	82°10' 33.23"E	24°50' 57.38"N
(o)	82°10' 30.26"E	24°50' 57.25"N
(p)	82°10' 20.72"E	24°50' 55.89"N
(q)	82°10' 23.90"E	24°51' 04.15"N
(r)	82°10' 28.17"E	24°51' 12.79"N
(s)	82°10' 33.10"E	24°51' 16.35"N

LEGEND

- GPS CO-ORDINATES OF THE LOCATION
- MAHUGARI VAN BLOCK AT MIRZAPUR

प्रभागीय निदेशक (राजेश कुमार)
सामाजिक वानिकी प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

505

Geo-Reference Map of Proposed 66.50 Hectare CA Land in Reserve Forest Block Surywar, Forest Division Mirzapur, Against Diversion of Proposed Protected Forest Land For Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg On RHS Shoulder of Upper Ganga Canal Form KM Ch. 108.75 To 151.050 (Length 42.30 KM) In District-Meerut, Meerut (U.P.)

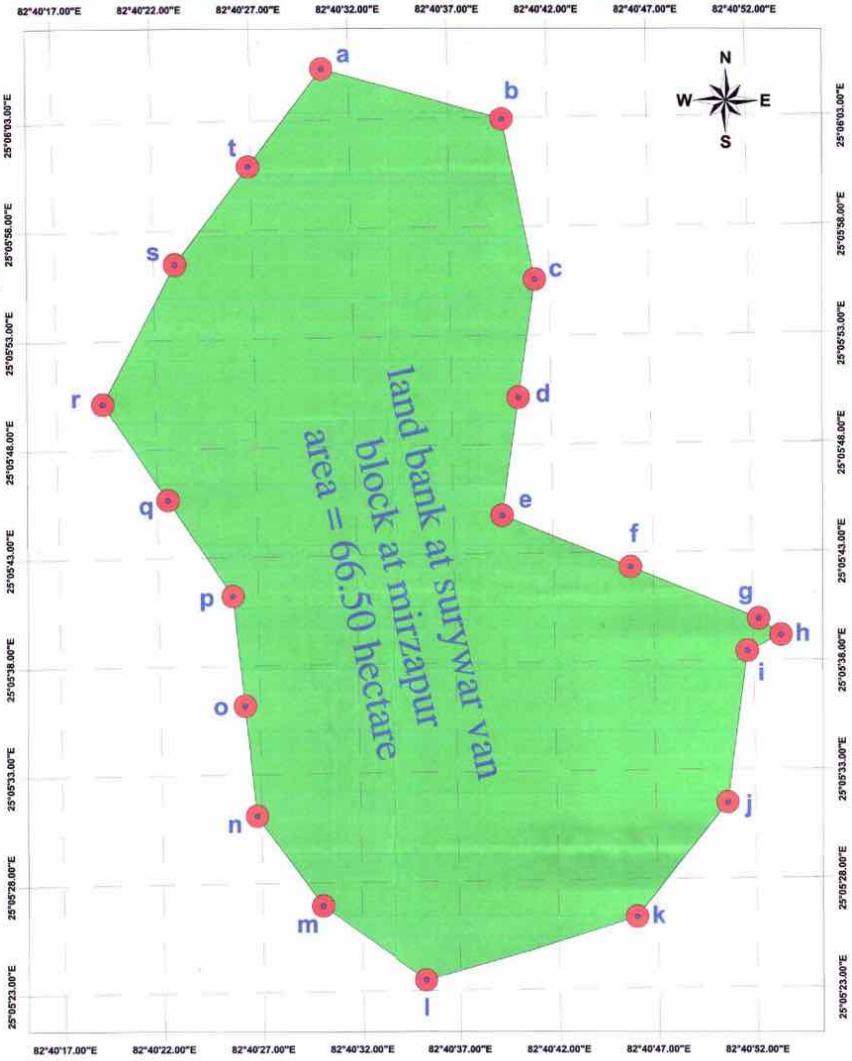

Prepared By: Apex Engineers And Consultants Agra Mob: 9412160537

GEO REFERENCE CO-ORDINATES		
LOCATION	LONGITUDE	LATITUDE
(a)	82°40' 30.63"E	25°06' 05.35"N
(b)	82°40' 39.69"E	25°06' 02.93"N
(c)	82°40' 41.27"E	25°05' 55.56"N
(d)	82°40' 40.36"E	25°05' 50.16"N
(e)	82°40' 39.44"E	25°05' 44.76"N
(f)	82°40' 45.86"E	25°05' 42.32"N
(g)	82°40' 52.28"E	25°05' 39.89"N
(h)	82°40' 53.40"E	25°05' 39.13"N
(i)	82°40' 51.70"E	25°05' 38.41"N
(j)	82°40' 50.60"E	25°05' 31.48"N
(k)	82°40' 45.95"E	25°05' 26.27"N
(l)	82°40' 35.26"E	25°05' 23.48"N
(m)	82°40' 30.03"E	25°05' 26.94"N
(n)	82°40' 26.77"E	25°05' 31.11"N
(o)	82°40' 26.24"E	25°05' 36.16"N
(p)	82°40' 25.71"E	25°05' 41.22"N
(q)	82°40' 22.52"E	25°05' 45.66"N
(r)	82°40' 19.32"E	25°05' 50.11"N
(s)	82°40' 23.07"E	25°05' 56.47"N
(t)	82°40' 26.85"E	25°06' 00.91"N

LEGEND

- GPS CO-ORDINATES OF THE LOCATION
- SURYWAR VAN BLOCK AT MIRZAPUR

वनमंडल वन अधिकारी
मिर्जापुर वन मंडल

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन मण्डल
मीरजापुर

C/S

08/7/21
प्रभागीय निदेशक(राजेश कुमार)
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ।

506

Topo Sheet of Proposed 40.00 Hectare CA Land in Reserve Forest Block Mahugari, Forest Division Mirzapur, Against Diversion of Proposed Protected Forest Land For Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg On RHS Shoulder of Upper Ganga Canal Form KM Ch. 108.75 To 151.050 (Length 42.30 KM) In District-Meerut, (U.P.)

OPEN SERIES MAP

No. G44W1

Scale 1:50,000

सर्वेक्षण महाविभाग

SURVEY OF INDIA

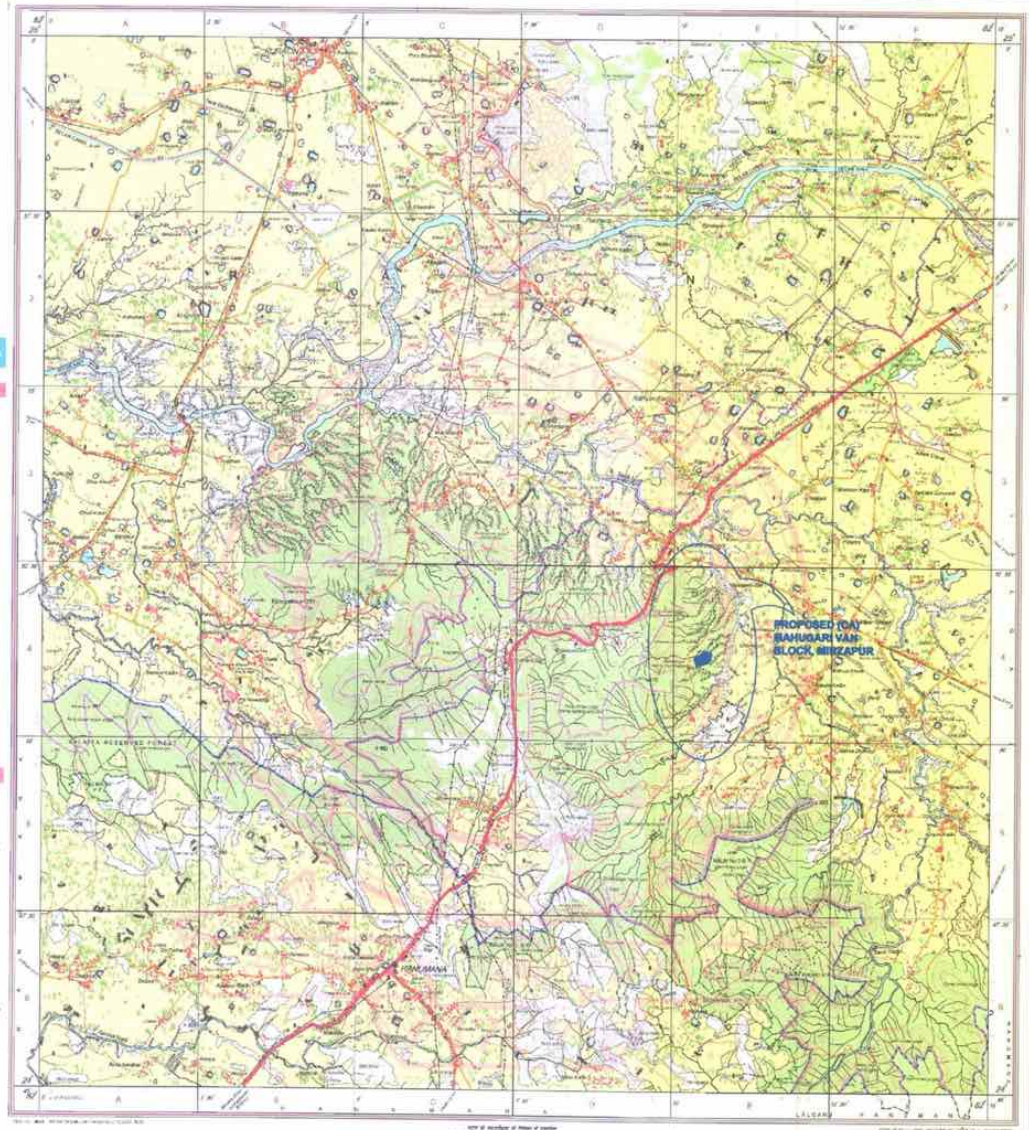

LEGEND:-

PROPOSED (CA) MAHUGARI VAN BLOCK, MIRZAPUR

सहायक वनसंरक्षक
मुख्यालय रेंज
मीरजापुर वन प्रभाग,

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मिर्जापुर

509

C/S

प्रभागीय निदेशक (सर्वेक्षण)
राष्ट्रीय सर्वेक्षण अकादमी
देहरादून

Topo Sheet of Proposed 66.50 Hectare CA Land in Reserve Forest Block Surywar, Forest Division Mirzapur, Against Diversion of Proposed Protected Forest Land For Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg On RHS Shoulder of Upper Ganga Canal Form KM Ch. 108.75 To 151.050 (Length 42.30 KM) In District-Meerut, (U.P.)

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

C/S
प्रभागीय निदेशक, सेवी कुमार,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ।

Topo Sheet of Proposed 84.00 Hectare CA Land in Reserve Forest Block Dauraha, Forest Division Mirzapur, Against Diversion of Proposed Protected Forest Land For Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg On RHS Shoulder of Upper Ganga Canal Form KM Ch. 51.910 To 108.750 (Length 56.84 KM) In District-Muzaffar Nagar, Meerut (U.P.)

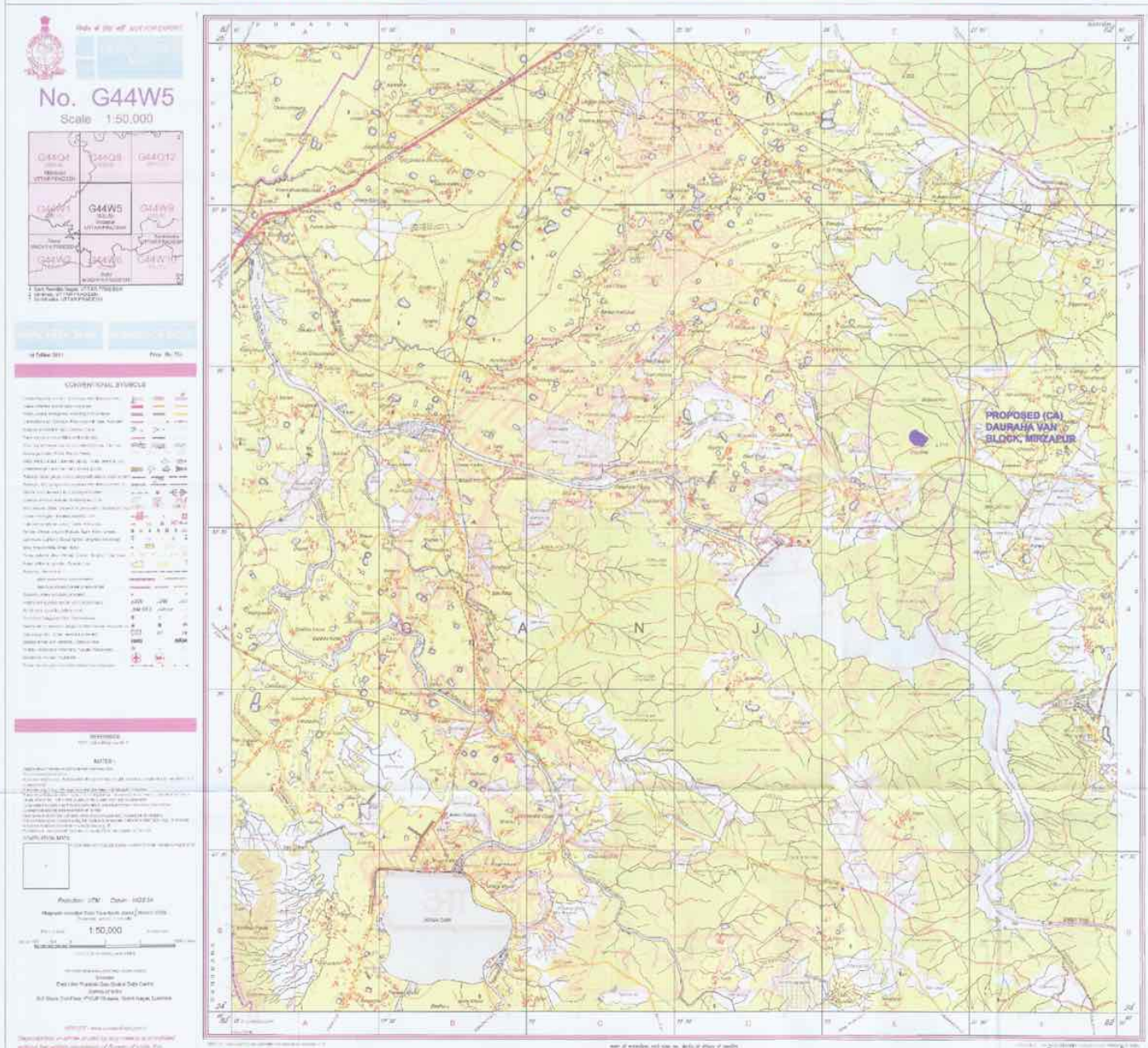

84.00 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

जनपद–मुज्जफरनगर में मुख्य गंग नहर की दायी पटरी (चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग) के चौड़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अपेक्षित अवनत वन भूमि मीरजापुर वन प्रभाग के पटेहरा रेंज अन्तर्गत घोरी क0न0–2(जहदर) क्षेत्रफल 84.00 हे0 में चिन्हित की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अवनत वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	क0न0	DSS Analysis के उपरान्त अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)	अवनत वन भूमि का प्रकार
1	मीरजापुर वन प्रभाग	पटेहरा	घोरी क0न0–2 (जहदर)	84.00	आरक्षित (RF)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अवनत वन भूमि पर शीशम, इमली, नीम, आम, केसिया सेमिया, महुआ, कठसागौन, सागौन, ऑवला, कंजी, चिलविल, सेमल एवं जामुन आदि के पौधो का रोपण किया जायेगा जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उचित है, तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त आरक्षित वन भूमि विवाद रहित तथा अतिक्रमण से मुक्त है। चिन्हित वन भूमि का फ़ारेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया के साफ्टवेयर पर DSS Analysis कराने के उपरान्त वानस्पतिक घनत्व 0.4 अथवा 40 प्रतिशत से कम घनत्व पाया गया।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटेहरा रेंज-सिरसी
मिर्जापुर

(पी0एस0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

169.20 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

जनपद–मेरठ में मुख्य गंग नहर की दायी पटरी (चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग) के चौड़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अपेक्षित अवनत वन भूमि मीरजापुर वन प्रभाग के मीरजापुर रेंज, अकोढ़ी क0न0–2 (भवानीपुर), क्षेत्रफल–46.60 हे0, विण्डमफाल रेंज अन्तर्गत दौंती क0न0–1 (सूर्यवार), क्षेत्रफल–66.50 हे0, ड्रमण्डगंज रेंज अन्तर्गत (बबुरा क0न0–2) महुगढ़ी, क्षेत्रफल–40.00 हे0 एवं चुनार रेंज अन्तर्गत शक्तेशगढ़ क0न0–5, क्षेत्रफल–16.10 हे0 (कुल 169.20 हे0) में चिन्हित की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अवनत वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	क0न0	DSS Analysis के उपरान्त अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	अवनत वन भूमि का प्रकार
1	मीरजापुर वन प्रभाग	मीरजापुर रेंज	अकोढ़ी क0न0–2 (भवानीपुर).	46.60	आरक्षित (RF)
2		विण्डमफाल रेंज	दौंती क0न0–1 (सूर्यवार).	66.50	आरक्षित (RF)
3		ड्रमण्डगंज रेंज	बबुरा क0न0–2 (महुगढ़ी)	40.00	आरक्षित (RF)
4		चुनार रेंज	शक्तेशगढ़ क0न0–5	16.10	आरक्षित (RF)
			योग –	169.20	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अवनत वन भूमि पर शीशम, इमली, नीम, आम, केसिया सेमिया, महुआ, कठसागौन, सागौन, ऑवला, कंजी, बिलबिल, सेमल एवं जामुन आदि के पौधो का रोपण किया जायेगा जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उचित है, तथा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त आरक्षित वन भूमि विवाद रहित तथा अतिक्रमण से मुक्त है। चिन्हित वन भूमि का फारेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया के साफ्टवेयर पर DSS Analysis करानें के उपरान्त वानस्पतिक घनत्व 0.4 अथवा 40 प्रतिशत से कम घनत्व पाया गया।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

क्षेत्रीय वनाधिकारी
ड्रमण्डगंज रेंज
मीरजापुर वन प्रभाग।

(पी0एस0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
विण्डमफाल रेंज
मीरजापुर वन प्रभाग

क्षेत्रीय वन अधिकारी
चुनार रेंज

प्रभागीय निदेशक (संजय कुमार)
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ।